

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 12 / 2012

दर्ज दिनांक:—02.03.2012

1. रामबाबू पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. करतारसिंह पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:  
प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक  
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया वादी को वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 2,3,4,5 की सहमती व राजीनामा से न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2001 से प्राप्त हुई है। यदि वादी इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वह इस निर्णय / डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने में स्वतंत्र है। दावा वादी प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर